श्री मान् न्यायिक मजिस्ट्रेड महोदय प्रथम श्रेणी,

देवसर जिला सिंगरौली (म0प्र0)

नीरज गुप्ता पिता मुन्नी लाल गुप्ता उम्र 30 वर्ष पेशा बेरोजगारी निवासी ग्राम बरगवॉ, पो0 डगा बरगवॉ, थाना बरगवॉ जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश

———————— परिवादी

बनाम

(1). अजिम प्रेम जी मुख्य प्रबन्धक विप्रो कंम्पनी इंडिया लिमिटेड बिजनेशऑफिस प्लाट नं0 8, ब्लाक डी0 एम0, सेक्टर 5 साल्ट लेग सिटी कोलकत्ता 700091

(2). सुरेश महतो पिता नामालुम, मो0 नं009716218796 जिला धनवाद झारखण्ड (पूर्ण पता नामालुम)

(3). आलोक कुमार सांडिल्या पिता नामालुम, मो0 नं0 08961596670 निवासी जिला धनवाद झारखण्ड (पूर्ण पता नामालुम) एच0आर0 विपो कंम्पनी इंडिया लिमिटेड कोलकत्ता प्लाट नं0 8, ब्लाक डी0 एम0, सेक्टर 5 साल्ट लेग सिटी कोलकत्ता 700091

(4). मदुल घोषपिता नामालुम, पता रमाकान्त मिस्त्री, मेन ग्राउण्ड लोर मुर्चीपरा स्कोयर बिल्डींग कोलकत्ता

(5). सौरभ आचार्यापदस्थ विप्रो कंम्पनी इंडिया के कंम्पलेन अटेन्डर

———————— आरोपीगण

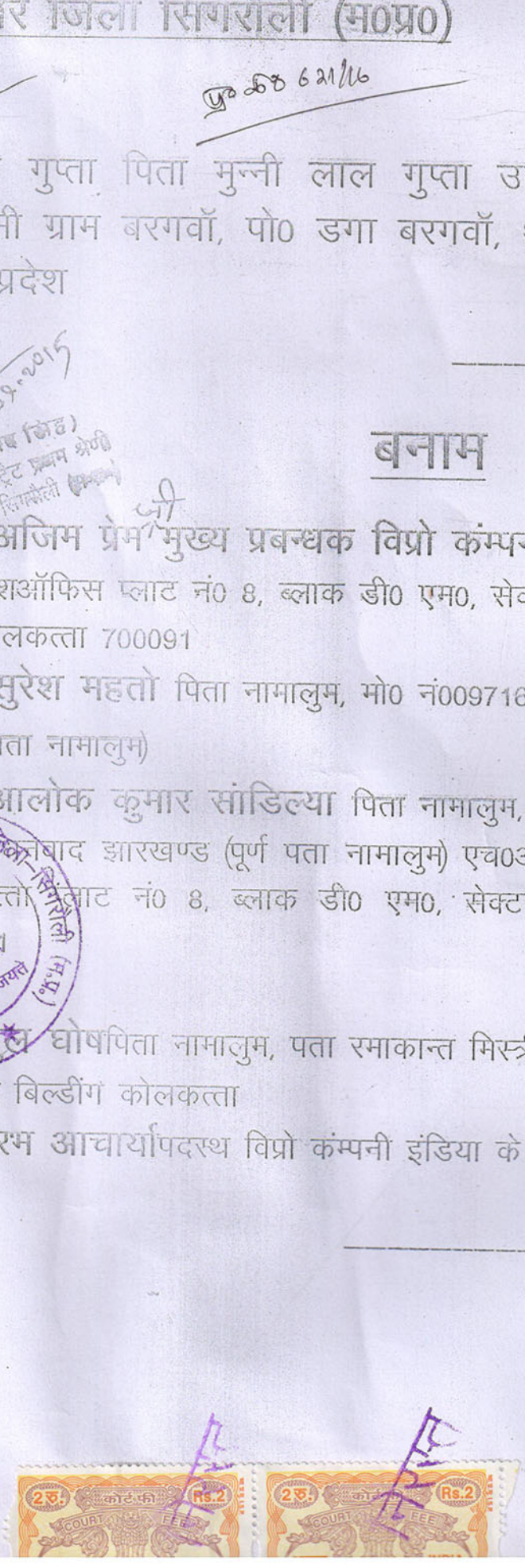

(राम प्रकाश सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
[illegible], जिला-[illegible] (म०प्र०)

05-05-16

परिवादी द्वारा श्री बृजेश चतुर्वेदी अधि0।

प्रकरण पंजीयन पर आदेश हेतु नियत है।

परिवाद पत्र परिवादी साक्षी नीरज गुप्ता प.सा.–1, पंकज प.सा.–2 के कथनों का अवलोकन किया गया। प

परिवाद पत्र का सार यह है कि परिवादी नीरज गुप्ता की पहचान सुरेश महतो से थी। सुरेश महतो ने परिवादी को विप्रो कंपनी में स्थायी नौकरी की बात बताया और कहा कि बीस हजार रूपये सिक्योरिटी मनी दो, तो उसने उसके बताये हुये एकाउंट में बीस हजार रूपये डाल दिया इसके बाद उसने दिनांक 24.02.13 को सिक्योरड ऑफर लेटर मिला तब उसने अपनी नौकरी ए.एन.जी. कंपनी से त्याग पत्र दे दिया और घर बरगवां आकर सुरेश महतो के बताये अनुसार नौकरी कॉल लेटर आने का इंतजार करने लगा। उसने उसे अशोक कुमार शांडिल्य ने जानकारी दी कि मेडिकल चेकअप करवाना पड़ेगा तब उसने मेडिकल चेकअप की कार्यवाही की और अंततः परिवादी को यह कहा गया कि एक दो लड़के और दिलाये अन्यथा उसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस समाप्त कर दी जावेगी, किंतु परिवादी ने ऐसा करने से मना कर दिया। अंततः परिवादी द्वारा आपराधिक कार्यवाही करने बाबत् परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

परिवादी और परिवादी साक्षी ने परिवाद में उल्लेखित कथनों का समर्थन शपथ पर की गई परीक्षा में किया है।

N.11.11.2016

II—156
C.J.

Order Sheet [Contd]

Case No. ....of 20.......

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

परिवादी के कथनों और प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि परिवादी अभियुक्त क. 2 सुरेश महतो से परिचित रहा है और उसी ने विप्रो कंपनी में नौकरी दिलाने के लिये कहा और 20 हजार रूपये सिक्योरिटी जमा करने को कहा, जिसे परिवादी ने जमा भी किया। प्रस्तावित अभियुक्त आलोक कुमार शांडिल्य की ओर से परिवादी को इंटरनेट पर मेल करना परिवादी ने व्यक्त किया है, जो उक्त परिवादी को नौकरी दिलाने का संव्यवहार का भाग रहा है। प्रस्तावित आरोपी क. 1 अजीम प्रेमजी और प्रस्तावित आरोपी क. 4 मृदुल घोष तथा आरोपी क. 5 सौरभ आचार्या का परिवादी से सीधे कोई संव्यवहार करना दर्शित नहीं होता है। परिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के संबध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत् प्रमाण–पत्र भी संलग्न नहीं किया गया है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तावित आरोपी सुरेश महतो और आलोक कुमार शांडिल्य के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा 420, 465 एवं 120 बी के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार है। अतः उक्त अभियुक्तगण सुरेश महतो और आलोक कुमार शांडिल्य के विरूद्ध प्रकरण सी.आई.एस. व केंद्रीय दायरा पंजी में दर्ज हो।

परिवादी की ओर से परिवाद पत्र की प्रति, साक्ष्य सूची, व आदेशिका शुल्क प्रस्तुत किया जावे तो आरोपीगण सुरेश महतो और आलोक कुमार शांडिल्य को जरिये नोटिस आहूत किया जावे।

प्रकरण आरोपीगण सुरेश महतो और आलोक कुमार शांडिल्य की उप0 हेतु दिनांक 15-07-16 को पेश हो।

(ओम प्रकाश सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देवसर, जिला सिंगरौली (म०प्र०)

सत्य-प्रतिलिपि

प्रभारी अधिकारी
प्रतिलिपि अनुभाग
देवसर जिला-सिंगरौली (म०प्र०)

निरस्त